झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राँची
Jharkhand Council of Educational Research and Training, Ranchi
D.I.E.T. Campus, Ratu, Ranchi-835222, e-mail: jcert.ran@gmail.com

कार्यालय आदेश

सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 29.01.2026 को सम्पन्न 19वीं राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में राज्यान्तर्गत प्रत्येक प्रमण्डल के एक-एक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (रातु (राँची), रेहला (गढ़वा), हजारीबाग (हजारीबाग), चाकुलिया (पूर्वी सिंहभूम) एवं जसीडीह (देवघर)) में शैक्षणिक सत्र 2026-28 से प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed) कोर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था।

उक्त निर्णय के आलोक में कार्यालय के ज्ञापांक 421 दिनांक 16.02.2026 के द्वारा संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक को विभागीय संकल्प संख्या 1382 दिनांक 20.05.2004 एवं संकल्प संख्या 236 दिनांक 25.01.2006 के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इन संस्थानों में सक्षम प्राधिकार (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्) द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप प्राचार्य, शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक स्टाफ उपलब्ध नहीं रहने के कारण प्रशिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित होगी। साथ ही, सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप प्राचार्य, शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिपथ में रखते हुए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (रातु (राँची), रेहला (गढ़वा), हजारीबाग (हजारीबाग), चाकुलिया (पूर्वी सिंहभूम) एवं जसीडीह (देवघर)) में प्राचार्य, शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति होने तक प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed) कोर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्थगित किया जाता है।

संचिका पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(शशि रंजन)
निदेशक

ज्ञापांक : जे.सी.ई.आर.टी./वि.लो. 09-14/2025/.1152 राँची, दिनांक...17/07/...2026

प्रतिलिपिः सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड/ निदेशक, माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा/ संबंधित उपायुक्त/ संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक / संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/ संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक एवं संबंधित प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सम्बंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि नामांकन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र के साथ संलग्न डिमांड ड्राफ्ट को सम्बंधित उम्मीदवार को वापस करना सुनिश्चित करेंगे।

निदेशक

ज्ञापांक : 334 /दुमका, दिनांक 22/07/26
प्रतिलिपि :- सभी अभ्यर्थियों को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक
संथाल परगना प्रमंडल, दुमका